

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रकार, संलग्न दृष्टि, विशेष सचिव।
महोदयाकार (लेखा एवं हकदारी)
विहार, पटना।
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सड़क उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य सड़क 0001.27.02 सड़क अनुसंधान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

पत्रांक-मु0310-4 (मु0)-3054-01-175/2023 - 4272 / पटना, दिनांक-07/08/2023

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

SL.No	Name of Division	Project ID	Block	Name of Road	Length (in K.M)	Initial Recification with surface Renewal (in Lakh)	Cost Of year Maintenance (in Lakh)	Cost Of Repair (10%) in Lakh	Total Estimated Cost (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaram-I	10301003009	Sasaram	Anna To Babhapurva Path	7.000	686.52200	56.83900	68.65200	812.01300
					7.000				812.01300

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमुख, सासाराम-1 योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकोसी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निचोरी एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विवरण तालाब/विशिष्ट के अनुसार कायाचित करवाकर एकत्रित किया जाए एवं सुसंगत वित्तीय प्रणाली के पालन उपरान्त पूर्णतः सतृप्त होकर ही राशि की निकोसी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकोसी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुसंधान नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का किया-व्ययन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा करवाया जायेगा।

4. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन सचिका संख्या- 3054-01-175/2023 में दिनांक 12.07.2023 को प्राप्त है।
5. सारणी में अधिकतम उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-28.07.2023 को सचिका संख्या- 3054-01-175/2023 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यालयिक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की समीक्षा की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकसरनामा के पूर्व कार्यालयिक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुसूचक कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर बाडा के निधारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकाली की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों की अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपलब्ध राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्वित्तियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विधिपरिचालनों के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यालयिक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रवैडि करारें हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग की निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगी।
15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निधारित नियोजन, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दृष्टी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यार्थ मुख्य आचारिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आचारिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- 3054-01-175/2023 के पृ0-42/170 पर दिनांक-17.7.2023 को प्राप्त है।

विशेष सचिव
(सहायक सचिव)
31/8/2023

ज्ञापांक-मु0310-4 (मु0)-3054-01-175/2023-4273 /पटना, दिनांक-07/8/2023
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक-मु0310-4 (मु0)-3054-01-175/2023-4273 /पटना, दिनांक-07/8/2023
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप सचिव/सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य
विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, /संबंधित जिला पदाधिकारी, /संबंधित उप विकास
आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा,
ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण
अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 को
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आईटीओ नोटल पदाधिकारी को MIS में
अपलोड करने हेतु एवं आईटीओ मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/8/2023

विशेष सचिव